HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक राय होकर लाठी-डंडों से मारपीट करने के मामले में 04 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 23,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 31.03.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडों से मारपीट करने के मामले में 04 आरोपियों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 15.11.2013 को अभियुक्तगण 1. पालू पुत्र जुगला, 2. मनवीर पुत्र जुगला, 3. कलवा उर्फ कालूराम पुत्र जुगला निवासीगण ग्राम नवादा खुर्द थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, 4. प्रभूदयाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम शेरपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडों से मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 206/2013 धारा 147, 148, 149, 323, 325 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 20.01.2014 आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 31.03.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट हापुड़ द्वारा 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 23,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती विनीता त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री सईद अहमद, पैरोकार है0का0 रवि चिकारा व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 सोनू का विशेष योगदान रहा।